संख्या-4/2026/118/002-21-4002-002-3-2026

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 20 मई, 2026

विषय:- हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ0प्र0, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2026-27 में मानक मद- 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रथम किश्त के रूप में रू0 65.00 लाख (रूपये पैंसठ लाख मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र सं0-23/हि0ए0/2026-27, दिनांक 28 अप्रैल, 2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ0प्र0, प्रयागराज को वचनबद्ध कार्यकलापों व योजनाओं के संचालन हेतु अनुदान संख्या-39 के अंतर्गत गैर-वेतन मद (20) में प्रावधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 65.00 लाख (रूपये पैंसठ लाख मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि राजकोष से आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा बिल सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(4) उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान को कोषागार से सीधे सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/पार्टी के खाते में बेनीफिशियरी बनाकर भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 65,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202031040300 हिन्दुस्तानी अकादमी,उ.प्र.को अनुदान **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-4(1)/2026/118/002-21-4002-002-3-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- सचिव, हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ0प्र0, प्रयागराज।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।